

Land Attn - Secretary, U.P.
Shri Gangaram Sar.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

३६
३११

क्रमांक:- पा० ३(२४)नवि/३/२००३ पार्ट

जयपुर, दिनांक:

27 DEC.

परिपत्र

राजस्थान भू-राजस्व क्षेत्रों में कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के नियमन एवं नियोजित आवासीय योजनाओं की स्थीरता के मामलों में सम्यावधि में कार्यवाही नहीं होने के फलस्वरूप सरकार को हो रही राजस्व हानि एवं जनता को हो रही परेशानी के निराकरण के संबंध में दिनांक ९.९.०४ का मानवीय नगरीय विकास एवं रचायत्त शासन राज्य मंत्री को अध्यक्षता में आयोजित वैठक में व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिये गये निर्णयों के अनुसरण में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

१। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा ९० वी के तहत नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के निरतारण के सम्बन्ध में :- उपराधारा ९० वी की उपधारा (4) के तहत नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों की संक्षिप्त जांच करके आदेश पारित करने की सम्यावधि ६० दिन निर्धारित है। नियमन हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त सम्यावधि का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जिसके फलस्वरूप भारी संख्या में नियमन के प्रार्थना पत्र लम्बित हो गये हैं। जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है तथा सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं:-

- (i) नियमन हेतु लम्बित प्रकरणों का निरतारण दिनांक ३१.३.०५ तक अनिवार्य रूप से किया जावें।
(ii) नियमन हेतु अब प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों का निरतारण निर्धारित सम्यावधि ६० दिन में करके पट्टों का निपादन किया जावें।

२। अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने के लिये निष्पादित पाव ऑफ अटानी पर रटेम्प शुल्क लेने के सम्बन्ध में :- राजस्थान दित्त अधिनियम, 2001 के द्वारा रटेम्प अधिनियम में संशोधन करे अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाली पावर ऑफ अटानी पर निम्न दर से रटेम्प शुल्क लेने का प्रावधान गिरावः है।

(i)	पिता, माता, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पत्री, पौत्र, पोत्री, के पक्ष में निष्पादित होने पर	2,000/- रुपये
(ii)	उक्त रिश्तेदारों के अलावा अन्य व्यक्ति, के पक्ष में निष्पादित होने पर	पावर ऑफ अटार्नी में वर्णित सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू का 2%

जयपुर विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों में सम्पादित विभिन्न कार्यवाही के दौरान प्रत्युत उपरोक्त पावर ऑफ अटार्नी पर नियमानुसार देय स्टेम्प शुल्क की अदायगी सुनिश्चित करें तथा अपर्याप्त स्टाम्प युक्त पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर काइ कार्यवाही नहीं करें।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना कठोरता से करें। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने या उपेक्षा करने की कार्यवाही को सरकार गम्भीरता से लें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयोग की जाए।

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
4. आयुपत्ति, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. आवासन आयुक्त, राजरथान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
7. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
8. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं गुदांक विभाग राजरथान अजमेर।
9. सयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
10. उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
11. निर्देशक, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण आपके रत्तर पर स्थानीय निकाय को निर्देशित करें।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समरत।
13. रक्षित पत्रोवली।